रजिस्ट्री सं० डी० (डी.एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905

No. 182] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIK 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 45—आईटीसी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर 1983

विषय: अप्रैल 1983-मार्च 1984 के लिए आयात निर्यात नीति

मि० सं० 12 आर ई 81/71 ई पी सी०/वा 10 वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 10-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 15 अप्रैल, 1983 के अधीन प्रकाशित यथा संशोधित अप्रैल 1983-मार्च 1984 के लिए आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए गए समझे जाएंगे :-

क्रम सं०	आयात-निर्यात नीति 1983-84 (जिल्द 1) का पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	38	अध्याय-17 पैरा 67 निर्यातक गृह-1(1)	वर्तमान उप-पैरा (जज) के बाद निम्नलिखित और उप-पैरा जोड़ा जाएगा :- '(जजज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक बोलियों के मद्दे भारत में अनुमानित 100% निर्यात अभिमुख एककों द्वारा भारत में परियोजनाओं को की गई आपूर्तियां।'

1	2	3	4
2	19	अध्याय-17 पंजीकृत निर्यातक	वर्तमान पैरा 172 के बाद निम्नलिखित और पैरा जोड़ा जाएगा — 172-क घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा माल की बिक्री। (1) उपर्युक्त उप पैरा 172 (2) (ग) में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में न रखते हुए मान्यता प्राप्त 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा विनिर्मित माल को वैध सामान्य मुद्रा क्षेत्र आयात लाईसेंस के मद्दे घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी बिक्री संबद्ध एकक द्वारा 1983-84 के दौरान उसी मद के उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (2) मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के कार्यालय नई दिल्ली में निर्यात आयुक्त की पूर्व अनुमति से ही बिक्री प्रभावी की जाएगी। घरेलू बाजार में अपने माल को बेचने के इच्छुक एककों को निर्यात आयुक्त से संपर्क करना चाहिए। उस वैध सामान्य मुद्रा क्षेत्र आयात लाईसेंस के मद्दे घरेलू बाजार में संभरित की जाने वाली मद की मात्रा और एकक द्वारा 1983-84 के दौरान उसी तारीख को उत्पादित उसी मद की मात्रा को भी दर्शाना चाहिए। आवेदन पत्र [illegible] प्राधिकारी/संबंधित क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। निर्यात आयुक्त घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति प्रदान करने से पूर्व इस बात का सत्यापन करेगा कि प्रस्तावित बिक्री एकक द्वारा पहले से ही उत्पादित वास्तविक उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है। (3) निर्यात आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् सामान्य मुद्रा क्षेत्र के वैध आयात/लाईसेंस रखने वाले क्रेता को लाईसेंस के अन्तर्गत आने वाली और 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक से अधिप्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित मद का मूल्य/मात्रा का संकेत करते हुए और संबंधित विक्रेता एकक के नाम का उल्लेख करते हुए संबंधित लाईसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। लाईसेंस प्राधिकारी ऐसे आवेदन पर रिहाई आदेश जारी करेगा जिससे कि संबंधित 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक से प्राप्ति की जा सके और जैसा भी मामला हो आयात लाईसेंस के मूल्य/मात्रा को घटाया जा सके और सीधे आयात के लिए उसे अवैध बनाने के लिए आवश्यक सीमा तक लाईसेंस में से विषयाधीन मद (मदों) को घटाया जा सके। (4) रिहाई आदेश दो प्रतियों में जारी किए जाएंगे। माल की प्राप्ति और उसके मूल्य/मात्रा के लिए रिहाई आदेश धारक की जांच पड़ताल करने के बाद 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक द्वारा रिहाई आदेश की मूल प्रति रख ली जाएगी। संबद्ध 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक द्वारा निर्यात के रूप में यह [illegible] होगा। निर्यात के अन्दाज पर निकाले [illegible] के रूप में समझे जाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर माल का संभरण कर दिया जाता है या रिहाई आदेश का मूल्य इनमें जो भी कम हो वही होगा। (5) माल का ऐसा उत्पादन शुल्क [illegible] और ऐसा अन्य कर/शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जो कि विषयाधीन माल पर लगाया जा सकता है। (6) इस संबंध में वित्त (राजस्व विभाग) वित्त मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी की गयी अधिसूचना को [illegible] या इस संबंध में समय समय पर उनके

1	2	3	4
			द्वारा जारी की गई ऐसी अन्य अधिसूचनाओं अथवा अनुदेशों के अधीन होगी।"
3	49	अध्याय-17 पंजीकृत निर्यातक उप पैरा 173(1)	दूसरी पंक्ति में सवारियां शब्द के बाद निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा मेटीरियल हैंडलिंग उपस्कर जैसे फोर्क लिफ्टस आदि, हैंड ट्रक्स, भवन निर्माण का सामान, उपभोज्य सामग्री।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 45-ITC (PN)/83

New Delhi, the 25th October, 1983

Subject : Import & Export Policy for April 1983-March 1984

File No. 1/2/REP/74-EPC (Vol X) —Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1983-March, 1984 (Vol-I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 10-ITC (PN)/ 83 dated the 15th April, 1983, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl No	Page No of Import Export Policy 1983-84 (Vol-I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	38	Chapter 17 Registered Exporters Para 131.	After the existing sub-para (hh), the following further sub-para shall be added: "(hhh) Supplies made by approved 100% export oriented units to the projects in India, against International competitive bidding".
2.	49	Chapter 17 Registered Exporters	After the existing para 172, the following further para shall be added:— "172-A. Sale of goods by 100% export oriented units in the domestic tariff area. (1) Notwithstanding the provisions made in sub-para 172(5) (c) above, goods manufactured by approved 100% export oriented unit may be allowed to be sold in the domestic market against valid General Currency Area import licences. Such sales shall not exceed 25 per cent of production of the same item by the unit concerned during 1983-84. (2) The sale shall be effected only with the prior permission of the Export Commissioner in the office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. The unit desiring to sell its goods in the domestic market should approach the Export Commissioner. It should also indicate the quantity of the item sought to be supplied in the domestic market aginst valid General Currency Area import licence, and the total quantity of the same item produced by the unit, as on date during 1983-84. The application should be certified by the officer of the Custom Central Excise in-charge of the bonded area. The Export Commissioner will verify that the proposed sale does not exceed 25% of the actual production already turned out by the unit before allowing sale in the domestic market (3) After obtaining permission from the Export Commissioner, the purchaser having valid General Currency Area import licence should approach the licensing authority concerned; indicating the item and the value/quantity, covered by the licence, and proposed to be procured from 100% export oriented units, mentioning the name of the concerned seller unit. The licen-

1	2	3	4
			sing authority, upon such request, will issue Release Order to enable supplies being obtained from the concerned 100% export oriented unit and reduce, to that extent, the value quantity of the import licence, as the case may be, and to delete the item(s) in question from the licence to the extent required to make it invalid for direct import. (4) The Release Order will be issued in duplicate. The original of the Release Order shall be retained by the 100% export oriented unit after obtaining the acquittance of the Release Order holder for the receipt of goods and the value/quantity thereof. This will serve as an evidence of export by the concerned 100% export oriented unit. The value to be treated as f.o.b. value of exports will be the value for which the goods are supplied or the value of the Release Order whichever is lower (5) The purchaser of the goods, shall be liable to pay excise duty, sales tax and such other taxes/duties as may be leviable on the goods in question. (6) The sale shall be subject to the notification as may be issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi in this regard or such other notifications or instructions as may be issued by them from time to time in this regard.
3. 49	Chapter 17 Registered Exporters Sub-para 173(1).		In the second line, after the word "components", the following shall be inserted: "material handling equipment such as fork lifts, over-head cranes; building construction materials, consumables".

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983